UPAL010059092026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या–02, अलीगढ़।
पीठासीन अधिकारी– तोष कुमार शर्मा (उच्चतर न्यायिक सेवा) –UP 6557
Bail Application-2724/2026

वसीम मेवाती पुत्र समजोर निवासी–जहानू का नगला थाना–जेवर जिला गौतमबुद्धनगर

.....अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

मुकदमा अपराध संख्या–110/2022
अन्तर्गत धारा–457, 380, 411 भा0द0स0
थाना–पिसावा, जिला– अलीगढ़

निस्तारण जमानत प्रार्थना पत्र

यह उपरोक्त जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्त वसीम मेवाती की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 110/2022 अन्तर्गत धारा–457, 380, 411 भा0द0स0 थाना खैर जिला अलीगढ में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन के अनुसार घटना दिनांक 24/25-08-2022 की रात्रि में हम सब परिवार के लोग सो रहे थे रात्रि समय अज्ञात कुछ चोर प्रार्थी के घर में घुस आये और घर में रखी लाइसेन्सी रायफल 315 बोर नं0– 0842–13313 जो मेरे छोटे भाई अनुज के नाम है। राइफल को मय कारतूस तथा मेरी लाईसेन्सी दुनाली बन्दूक लाइसेन्स 146 बन्दूक नम्बर 8301490–12 बोर को मय कारतूस एवं घर में रखी नगदी अनुज कुमार के 117000 व मेरे 192000 रूपये तथा दोनो भाईयों की सोने चादी के आभूषण जिसमें सोने के लगभग 26 तौली चादी के लगभग 1 कि0 के आभूषण जिनकी सूची अलग से दूंगा जिसको अज्ञात चोर घर में से चोरी कर ले गये। रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही की जाए।

अभियुक्त/आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता 'दाण्डिक' को सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया।

अभियुक्त/आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त/आवेदक को इस मुकदमें में झूंठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट नामजद नहीं है और ना ही कोई कद काठी का जिक्र नहीं किया गया है। पूर्व विवेचक द्वारा केस में विवेचना अन्तिम आख्या प्रस्तुत कर दी थी। अभियुक्त के विरूद्व कोई स्पष्ट व निष्पक्ष गवाह नहीं है। सह अभियुक्त सद्दाम के इकबालिया बयान में अभियुक्त वसीम का नाम आया है। अभियुक्त को गलत तथ्यों के आधार पर मुल्जिम बनाया गया है। अभियुक्त दिनांक 08.05.2026 से कारागार में निरूद्व है। अतः अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाय।

विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का कड़ा विरोध किया गया है।

प्रस्तुत मामलें की प्राथमिकी अज्ञात चोरों के विरूद्व दर्ज करायी गयी है वाद में सह अभियुक्त सद्दाम के इकबालिया बयान के आधार पर अभियुक्त वसीम का नाम प्रकाश में आया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि दिनांक 08.05.2026 को प्रार्थी/अभियुक्त एक अन्य अपराध संख्या–287/2025 अन्तर्गत धारा–305 बी0एन0एस0 थाना टप्पल जिला अलीगढ के मामलें में अभिरक्षा में लिया गया और दिनांक 12.05.2026 तक अंतरिम जमानत रिहा किया गया है लेकिन उसके बाद पुलिस ने गेट नं0–2 से से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी मीमों के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त को खेरेश्वर थाना लोधा के अन्तर्गत गिरफ्तार कर उसके पास से एक रायफल व एक बंदूक की बरामदगी दिखायी गयी है। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने यह भी कथन किया कि पुलिस ने अभियुक्त को गैर कानूनी रूप से गेट नं0 2 से करीब रात्रि के समय गिरफ्तारी मीमो दिखायी गयी है। पुलिस के द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त को उसी दिन अभिरक्षा में लिये जाने के संदर्भ में विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि न्यायालय परिसर में अभियुक्त के पास किसी प्रकार का कोई हथियार होने की दूर–दूर तक सम्भावना नहीं है और बरामदगी के समय कोई निष्पक्ष गवाह भी उपलब्ध नहीं है। पुलिस पूर्व में मुकदमा अपराध संख्या–110/22 में अंतिम रिपोर्ट भी लगा चुकी है। उपरोक्त मुकदमें में पुलिस 04 साल के दौरान भी विवेचना कर उपरोक्त चोरी के माल की बरामदगी जिसमें कि सोने के लगभग 26 तौली एवमं चॉदी के लगभग 1 किलोग्राम के आभूषण बरामद करने में असफल रही है। प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी अभिकथन किया है कि वर्तमान मुकदमा अपराध संख्या–110/22 से पूर्व अभियुक्त का किसी प्रकार का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ 03 मुकदमें चोरी से सम्बन्धित थाना टप्पल व 02 मुकदमें थाना पिसावा पर दर्ज होना बताया है। यहां यह भी उल्लिखित है कि उपरोक्त मामलें में चोरों द्वारा सोने के लगभग 26 तौली एवमं चॉदी के लगभग 1 किलोग्राम के आभूषण चोरी करना बताया है परन्तु सोने व चॉदी से सम्बन्धित किसी भी आभूषण की बरामदगी पुलिस द्वारा आज तक नहीं की गयी है। अभियोजन द्वारा इस बावत कहा कि अभी विवेचना चल रही है। अभियुक्त इस मामलें में दिनांक **08.05.2026** से कारागार में निरूद्व है।

अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये मामले के गुण दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना मेरे विचार से इस स्तर पर अभियुक्त/प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः अभियुक्त/प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **वसीम मेवाती** द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उसके द्वारा **1,00000**/–रूपये का निजी मुचलका व इसी राशि का एक प्रतिभू व इस शर्त के साथ प्रस्तुत करने पर जमानत पर छोड दिया जावे कि–

1. प्रार्थी/अभियुक्त भविष्य में इस प्रकार का अथवा अन्य कोई अपराध कारित नहीं करेगें।
2. मामले की विवेचना में सहयोग करेगा।
3. प्रार्थी/अभियुक्त अभियोजन साक्षीगण को डरायेंगे धमकायेंगे नहीं तथा विचारण न्यायालय में साक्ष्य की तिथियों पर साक्षीगा के न्यायालय में उपस्थित रहने पर

साक्षीगण से प्रतिपरीक्षा करेंगे एवं स्थगन की मांग नहीं करेंगा।

4. प्रार्थी/अभियुक्त व जामिनदारान, बन्धपत्रों व प्रतिभू में अपने मोबाईल नम्बर तथा स्थाई व वर्तमान पते अंकित करेंगे एवं पते के सम्बन्ध में दस्तावेज आधार कार्ड आदि की प्रति प्रस्तुत करेंगे। यदि दिये गये पतों व मोबाईल नम्बर में कोई परिवर्तन होता है, तो इसकी सूचना न्यायालय को देंगे तथा यदि अभियुक्त कार्य के लिए स्थान परिवर्तन करते हैं, तो परिवर्तित स्थान की भी सूचना देंगा।

दिनांक–04.06.2026

(तोष कुमार शर्मा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट संख्या–02, अलीगढ़।
UP 6557